राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.2(ग)(1)/अलेसे–।/4780 दिनांक :– 12/09/2024

आदेश संख्या 134/2024–25

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/21/1562–67 दिनांक 19.06.2021 के क्रम में श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (लिंक नं. 4546) कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर द्वारा दिनांक 18.06.2021 को कार्यवाही कर गिरफ्तार करने के सम्बंध में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निदेशालय के आदेश क्रमांक 467 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को गिरफ्तारी दिनांक 18.06.2021 से निलम्बित किया गया था।

वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2014 पार्ट दिनांक 26.07.2024 के क्रम में निलम्बन से बहाल किए जाने के निर्णय की अनुपालना में श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाकर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय कोषालय, जोधपुर (शहर) में विभागीय आदेश संख्या 126/2024–25 दिनांक 02.08.2024 को किया गया था।

अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)साविलेनि/2006 दिनांक 20.06.2019 व प.1(1) वित्त/नियम/2007 दिनांक 02.07.2024 के अनुसरण श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का वेतन निलम्बन से पूर्ववत्त आहरित दर से वर्तमान आदेशों की प्रतीक्षा मुख्यालय कोषालय (शहर) जोधपुर से अग्रिम आदेशों तक आहरण किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.2(ग)(1)/अलेसे–।/4780 दिनांक :– 12/09/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
2. श्री ...., सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय
5. रक्षित / निजी पत्रावली

(नरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)